राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक प. 9(23)कार्मिक/क-5/98 जयपुर, दिनांक 11-7-98

आदेश

विषय- राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण रोस्टर पंजिका का संधारण।

राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र-आदेश क्रमांक प. 15(24) कार्मिक/क-2/75, दिनांक 20.11.97 द्वारा विद्यमान 100 बिन्दु रिक्तियों पर आधारित रोस्टर के स्थान पर 100 बिन्दु पद आधारित रोस्टर प्रतिस्थापित किये जाने उपरान्त विभिन्न विभागों द्वारा रोस्टर पंजिका संधारण हेतु मार्गदर्शन चाहे जाते रहे हैं। रोस्टर पंजिका संधारण के सम्बन्ध में निम्न अनुदेश जारी किये जाते हैं:

1. परिपत्र आदेश दिनांक 20.11.97 के अनुबन्ध-1 में दी गई स्पष्टीकरण टिप्पणियों के अनुसार रोस्टर संधारित किया जाना है।

2. रोस्टर पंजिकाओं का संधारण पूर्ववत निर्धारित मानक प्रपत्र में ही किया जाना है।

3. रोस्टर बनाने के लिए पूर्ववर्ती प्रथम नियुक्त व्यक्ति से प्रारम्भ करते हुए रोस्टर के प्रत्येक बिन्दु के प्रति की गई नियुक्तियों की स्थिति अंकन करके किया जा सकेगा। इस प्रकार यदि रोस्टर में के बिन्दु संख्या 1 के सामने संवर्ग में का पूर्ववर्ती नियुक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी होता हो तो निर्धारित कालम में "अनुसूचित जाति द्वारा उपयोग किया गया" प्रविष्ट की जावेगी। यदि बिन्दु संख्या 7 पर नियुक्त व्यक्ति एक सामान्य प्रवर्ग का अभ्यर्थी है तो बिन्दु संख्या 7 के सामने निर्धारित कालम में "सामान्य वर्ग द्वारा उपयोग किया गया" अभिलिखित की जावेगी और तब तक जब तक समस्त नियुक्तियां संबंधित रोस्टर में समायोजित नहीं हो जाती निरन्तर यही क्रम चलता रहेगा। उक्त समायोजन के पश्चात् संवर्ग में के विभिन्न प्रवर्गों के नियुक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का वास्तविक प्रतिशत अवधारित किया जायेगा, इससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार का प्रतिशत कम/अधिक है।

4. दिनांक 20.11.97 से पूर्व पंजिका रिक्तियों पर आधारित रोस्टर पंजिका में चल रहे आरक्षण अवशेष को नये रोस्टर में दर्शाना है एवं नियुक्ति वर्ष के अन्त में अवशेष हो तो उसे आगे वर्ष की नियुक्तियों से भरे जाने हेतु निर्धारित कालम में दर्शाना है।

अतः समस्त शासन सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निवेदन है कि कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार समुचित निर्देश अपने अधीन नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को भी जारी करें।

(एम०एन०[illegible])
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल / मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव
3. समस्त निजी सहायक, माननीय मंत्री / राज्यमंत्री
4. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलेक्टर्स एवं संभागीय आयुक्त सहित
5. शासन सचिवालय के समस्त विभाग / अनुभाग / प्रकोष्ठ

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (राजस्थान)।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

कैलाश मीणा
11-9-96